



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० गवालियर

क्रमांक - ६९९-III-१५

प्रकरण क्रमांक

/2015 कन्टेम्प्ट

१/२० क्र. नं. १९
द्वारा आज ५.५.१५ को
प्रस्तुत
क्रमांक १९
क्रमांक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० गवालियर

बनपसिंह पुत्र श्री प्रेमनारायण
निवासी- ग्राम नापली तहसील व
जिला सीहोर, म०प्र० -----आवेदक

बनाम

कुलदीप दुबे, नायब तहसीलदार,
तहसील सीहोर, जिला सीहोर,

-- अनावेदक

अवमानना आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 12 न्यायालय
अवमानना अधिनियम 1971, सहपठित धारा 31
म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 ।

S.K. Shrivastava

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से अवमानना आवेदन-पत्र
निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, आवेदक को ग्राम नापली की स्थित शासकीय प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 116, 117, एवं 62-118/1 नोईयत आबादी में से 0.485 हैक्टर भूमि पर वर्ष 2014-15 खाली भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का पटवारी हल्का क्रमांक 55 के प्रतिवेदन पर से तथाकथित नोटिस जारी किया गया ।

2. यहकि, अनावेदक शासन द्वारा जारी उक्त तथाकथित नोटिस पर से की जा रही कार्यवाही के विरुद्ध आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण क्रमांक

शासकीय अधिनियम के
ग्राम आवेदन

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 699—तीन / 15

जिला —सीहोर

सं। नं।	तथा	कार्यवाही तथा आदेश	आगे भाग आदि हस्ताक्षर
14.9.16		<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एस० के० श्रीवास्तव द्वारा यह प्रकरण राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक निगरानी 83—तीन / 15 में दिये गये स्थगन दिनांक 6.2.15 के विरुद्ध अवमानना आवेदनपत्र धारा 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 सहपठित धारा 31 म०प्र० भू—राजस्व संहिता 1959 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2— आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख मंगाने हेतु नोटिस जारी किये गये जिस पर से अनावेदक द्वारा अभिलेख न भेजते हुये आवेदक के विरुद्ध उक्त तथाकथित नोटिस पर से की जा रही कार्यवाही को और अधिक तेज करते हुये आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा स्थगन देने के उपरांत भी अनावेदक के द्वारा कार्यवाही स्थगित न करते हुये आवेदक को विवादित भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है। अतः उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आदेश की अवहेलना एवं अवमानना की कार्यवाही करते हुये अनावेदक को दण्डित किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>3—आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि मूल प्रकरण निगरानी 83—तीन / 15 में अंतिम आदेश दिनांक 5.8.15 पारित किया जाकर निगरानी निरस्त की गई है। अतः अब इस प्रकरण में कुछ शेष बिन्दु</p>	म आगे भाग आदि हस्ताक्षर

—2— प्रकरण क्रमांक विविध ६९९—तीन / 15

नहीं रह जाता है जिसके कारण यह प्रकरण लंबित रखा जावे। अतः प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

४०
सदस्य

✓